

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 214/2022

निर्णय दिनांक : 13.8.2024

ऑनलाईन नम्बर 2022/291

रुखमणी कंवर पत्नी गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—प्रार्थी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।
2. झणकार पत्नी मदनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थिति:-

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्र सिंह मान अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू-राजस्व अधिनियम 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है कि प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 2 गांव मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के निवासीगण हैं। अप्रार्थी संख्या 2 व उनके पुत्र करणीसिंह, पुत्री कलावती, पिसरान मदनसिंह की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 2400/1136 तादादी 1.4400 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित था। अप्रार्थी संख्या 2 को अपने लडकियों की शादी में रूपयों की आवश्यकता होने पर अपने उपरोक्त खेत को पांच लाख रूपयें में मुकेश पुत्र दूलाराम जाति प्रजापत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के यहां अढ़ाणगत रखकर मुकेश के नाम दिनांक 03.05.2019 को अढ़ाणगत के रूप में रजिस्ट्री करवा दी व अढ़ाणगत भूमि को मुक्त करवाने के लिए एक वर्ष का समय लिया गया। उपरोक्त खेत का अढ़ाणगत का एक वर्ष का समय समाप्त होने के बाद मुकेश ने अप्रार्थी संख्या 2 से तकादा किया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने अढ़ाणगत से वादगत खेत पुनः अपने नाम करवाने के लिए प्रार्थिनी से सम्पर्क किया और कहा कि मुझे रूपयों की आवश्यकता है। मेरा खेत मुकेश के यहां अढ़ाणगत रखा हुआ है, मैं मेरे खेत को अढ़ाणगत से मुक्त करवाकर विक्रय करना चाहती हूं। तब प्रार्थिनी व अप्रार्थी संख्या 2 ने आपस में मिलकर वादगत खेत खसरा नम्बर 2400/1136 तादादी 1.44 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर में से तादादी 0.7587 हैक्टेयर यानि 3 बीघा भूमि उत्तरी तरफ की प्रार्थिनी को विक्रय करने के लिए सौदा तय कर लिया व उत्तरी तरफ की 0.7587 हैक्टेयर भूमि प्रार्थिनी को विक्रय करना तय हो गया तथा अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने बेचे गये उक्त हिस्से की धनराशि प्रार्थिनी से नकद प्राप्त कर ली। अप्रार्थी संख्या 2 ने अढ़ाणगत की राशि मय ब्याज को अदा

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



कर वादगत खेत में से उतरी तरफ की रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.7587 हैक्टेयर भूमि उतरी तरफ की मुकेश से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा प्रार्थिनी के नाम व शेष दक्षिणी तरफ की अपने रास्ता की भूमि सहित 0.6813 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली। वादगत खेत के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होने के बाद इंतकाल संख्या 2572 दिनांक 06.08.2020 के द्वारा वादगत खेत का उतरी हिस्सा 0.7587 हैक्टेयर प्रार्थिनी के नाम दर्ज हुआ, जिनके खसरा नम्बर 2555/2400 कायम हुये व शेष दक्षिणी हिस्सा 0.6813 हैक्टेयर के खसरा नम्बर 2556/2400 कायम हुये। वादगत खेत के उतर में रास्ता कच्ची सड़क स्थित है, उक्त सड़क से फंटकर उतर से दक्षिण अप्रार्थी संख्या 2 का रास्ता चलता है, जो वादगत खेत के पूर्व में सीवें के पास-पास होता हुआ आगे अप्रार्थी संख्या 2 के खेत में जाता है, जो 12 फुट चौड़ा रास्ता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने व उसके मातहत कर्मचारियों ने प्रार्थिनी का खरीदशुदा रकबा पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण स्थित रास्ता भूमि को शामिल करते हुये तरमीम कर दिया। जबकि उक्त रास्ता की भूमि को छोड़कर खरीदशुदा 0.7587 हैक्टेयर भूमि तरमीम होनी चाहिए थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने मौका स्थिति के विपरीत प्रार्थिनी के रकबा को गलत तरमीम किया है, इसलिए तरमीम दुरुस्ती हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वास्तु मुलायजा नजरी नक्शा पेश हैं।



3
उपखण्ड अधिकारी
श्रीङ्गरगढ (टीकानेर)



प्रार्थिनी ने अपने खेत की जमाबंदी व नक्शा कैसेसीसी बनाने के लिए निकलवाये तब प्रार्थिनी को गलत तरमीम के बारे में पता चला व जानकारी हुई। तब प्रार्थिनी ने अप्रार्थीगण से दिनांक 07.11.2022 को वादगत खेतों की मौकानुसार तरमीम दुरुस्त करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने नक्शा तरमीम करने से मना कर दिया, जबकि मौका पर प्रार्थिनी का कब्जा, उपयोग व उपभोग नजरी नक्शा के अनुसार चला आ रहा है। लेकिन राजस्व एक्स में तरमीम गलत होने के कारण प्रार्थिनी को खेत में विकास करवाने आदि में परेशानियां पैदा हो रही हैं। इसलिए प्रार्थिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र वादगत खेत नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम शुद्धी हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। जानकारी की दिनांक से प्रार्थना पत्र पेश करने का वादहेतु व वादाधार प्राप्त है। वादगत खेतों का नक्शा मौका स्थिति के विपरीत बनाया गया है। जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिनी की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2555/2400 तादादी 0.7587 हैक्टेयर रोही मौजा मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में वर्णित नजरी नक्शा के अनुसार दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड नक्शा में तरमीम किया जावे।

प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये है परन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब पेश करने का अवसर बन्द किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पैरोकारराज ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के खसरा नंबर 2400/1136 तादादी 1.44 हैक्टेयर में से 0.7587 हैक्टेयर भूमि उत्तरी तरफ से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वर्तमान मौका कब्जा के अनुसार रूखमणी कंवर का उत्तरी तरफ से बाडबंदी व तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है। मौके पर उक्त भूमि में से कोई मार्ग नहीं गुजर रहा है। एवं राज्य हित को ध्यान में रखते हुये निर्णय किया जाता है तो स्टेट को कोई आपति नहीं है। प्रार्थिनी अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए कथन किया कि वादगत खेत के उत्तर में रास्ता कच्ची सडक स्थित है, उक्त सडक से फंटकर उत्तर से दक्षिण अप्रार्थी संख्या 2 का रास्ता चलता है, जो वादगत खेत के पूर्व में सीव के पास-पास होता हुआ आगे अप्रार्थी संख्या 2 के खेत में जाता है, जो 12 फुट चौड़ा रास्ता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने एव उसके मातहत कर्मचारियों ने प्रार्थिनी का खरीदशुदा रकबा पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण स्थित रास्ता भूमि को शामिल करते हुए तरमीम कर दिया। जबकि उक्त रास्ता की भूमि को छोडकर खरीदशुदा 0.7587 हैक्टेयर भूमि तरमीम होनी चाहिए थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने मौका स्थिति के विपरीत प्रार्थिनी के रकबा को गलत तरमीम किया है। उक्त 12 फुट भूमि अप्रार्थी संख्या 02 के खेत खसरा नम्बर 2556/2400 तादादी 0.6813 हैक्टेयर की है। जिसको शामिल करते हुए प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 2555/2400 तादादी 0.7587 हैक्टेयर की तरमीम की गई है। उक्त 12 फुट भूमि को छोडकर प्रार्थिनी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित उत्तरी तरफ से 0.7587 हैक्टेयर भूमि की तरमीम कर

राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किये जाने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया। पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थिनी ने दिनांक 03.05.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित उत्तरी तरफ 0.7587 हैक्टेयर भूमि क्रय की गई है परन्तु उक्त खसरे में खेत खसरा नंबर 2556/2400 तादादी 0.6813 हैक्टेयर की 12 फुट भूमि शामिल करतें हुए तरमीम की गई है। लिहाजा प्रार्थिनी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थिनी के खेत खसरा नंबर 2555/2400 तादादी 75.87 हैक्टेयर वाकेरोही मोमासर की उत्तरी तरफ की तरमीम पूर्व तरफ की 12 फुट भूमि को छोडकर किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनश्चित करें।

आदेश आज दिनांक ~~13.8.21~~ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।



3
(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बिकानेर)
श्रीडूंगरगढ